प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'बाईस'

[20/3/2017]

प्रश्न सं. [क्र. 4848]

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 4848 अतारांकित द्वारा श्रीमती रेखा यादव, सदस्य विधानसभा।

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी महोदय
अनुभाग बिजावर जिला छतरपुर म.प्र.

विषय :— प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या. बडामलहरा की शिकायत दिनांक 31.08.2012 के संबंध में।

संदर्भ :— श्रीमान द्वारा शिकायत पत्र में अंकित टीप आदेश दिनांक 22.09.2012 के अनुसार।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित निर्देशानुसार शिकायत अन्तर्गत जांच में निम्न स्थिति पाई गई :—

1. प्राथ.उप.सह. भण्डार मर्या. बडामलहरा को अनुविभागीय अधिकारी महोदय बिजावर द्वारा आदेश क्र./286/पी.डी.एस./2012 बिजावर दिनांक 01.06.2012 के द्वारा नगर पंचायत बडामलहरा के वार्ड नं. 1,2,3,14,15 की उचित मूल्य दुकान आंवटित की गई थी। जिसके अनुसार भण्डार द्वारा माह जून 2012 से सितम्बर 2012 तक खाद्यान्न बृजेन्द्र विपणन सहकारी समिति मर्या. बडामलहरा से प्राप्त कर उसे राशन कार्ड धारियों को वितरण किया गया।
2. प्राथ.उप.सह.भण्डार मर्या. बडामलहरा को बृजेन्द्र विपणन सहकारी समिति मर्या. बडामलहरा द्वारा अक्टूबर 2012 से नवम्बर 2012 तक का अग्रिम आवंटन प्रदाय नही किया गया इसी प्रकार मां शक्ति आयल कैरोसिन डीलर बडामलहरा द्वारा भी जुलाई 2012, अगस्त 2012 का कैरोसिन प्राथ.उप.सह. भण्डार मर्या. बडामलहरा को प्रदाय नही किया गया।
3. श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय बिजावर द्वारा नगर पंचायत बडामलहरा के वार्ड नं. 1,2,3,14,15 को बृजेन्द्र विपणन सहकारी समिति मर्या. बडामलहरा में संलग्न करने एवं उपभोक्ता सामग्री का वितरण करने संबंधी कोई लिखित आदेश नही दिया गया एवं कैरोसिन डीलर बडामलहरा को भी कैरोसिन बृजेन्द्र विपणन सहकारी समिति मर्या. बडामलहरा को प्रदाय करने बावत कोई लिखित आदेश नही दिया गया, बृजेन्द्र विपणन सहकारी समिति मर्या. बडामलहरा की उचित मूल्य दुकान द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बिजावर के बगैर आदेश के उपभोक्ता सामग्री एवं कैरोसिन का उठाव कर लिया गया।
4. विपणन सहकारी समिति मर्या. बडामलहरा एवं मां शक्ति आयल कैरोसिन डीलर बडामलहरा के लेख अनुसार कलेक्टर (खाद्य) शाखा जिला छतरपुर के आदेश क्रमांक/1120/पी.डी.एस./खाद्य/2012 छतरपुर दिनांक 03.07.2012 के अनुसार प्राथ.उप.सह.भण्डार मर्या. बडामलहरा की स्थिति स्पष्ट न होने से भण्डार की उचित मूल्य दुकान वार्ड नं. 1,2,3,14,15 को भण्डार से पृथक कर उसे बृजेन्द्र विपणन सहकारी समिति मर्या. बडामलहरा में सलग्न किये जाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी बिजावर को लेख किया गया था। उक्त आदेश की प्रत्याशा में उनके द्वारा खाद्यान्न एवं कैरोसिन संबंधित भण्डार को प्रदाय नही किया गया।
5. बगैर सक्षम अधिकारी के आदेश किये बिना उपभोक्ता सामग्री एवं कैरोसिन के उठाव एवं वितरण करने के संबंध में विपणन सहकारी समिति मर्या. बडामलहरा द्वारा लेख कर बताया गया कि जिला खाद्य अधिकारी के मौखिक निर्देशानुसार खाद्य सामग्री विपणन द्वारा संचालित उ.मू.दु. को प्रदाय किया गया एवं उ.मू.दु. दुकान द्वारा उक्त सामग्री/कैरोसिन वार्ड पार्षदों के सक्षम उपभोक्ताओं को उनके राशन कार्ड पर वितरण किया गया।
6. मां शक्ति आयल कैरोसिन डीलर बडामलहरा द्वारा भी लेख कर बताया गया कि जिला खाद्य अधिकारी के मौखिक निर्देशानंसार बृजेन्द्र विपणन सहकारी समिति मर्या. बडामलहरा की उ.मू.दु. को कैरोसिन प्रदाय किया गया।
7. जांच में प्रथम दृष्टया दोनों की चूक परिलक्षित प्रतीत होती है। मां शक्ति आयल कैरोसिन डीलर बडामलहरा एवं बृजेन्द्र विपणन सहकारी समिति बडामलहरा द्वारा बगैर सक्षम आदेश के मात्र पत्र क्रमांक 1120 दिनांक 03.07.2012 के तहत विपणन द्वारा संचालित उ.मू.दु. को खाद्यान्न एवं कैरोसिन प्रदाय किया गया जबकि उक्त उ.मू.दु. को खाद्यान्न/कैरासिन प्रदय बावत सक्षम अधिकारी का कोई आदेश जांच दौरान उपलब्ध नहीं हुआ।

प्रतिवेदन श्रीमान की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित हैं।

Received
09/10/12

अनुभाग अधिकारी
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
मंत्रालय

सहकारिता विस्तार अधिकारी
बडामलहरा जिला छतरपुर